निर्वाचन तत्काल
स्पीड पोस्ट

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं.:3/4/आई डी/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एस.डी.आर/खण्ड-**I/**2018(परिषद)(कर्नाटक)

दिनांक: 01 जून, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कर्नाटक,
बैंगलुरु।

विषय: 3 स्नातक तथा 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिसके लिए 08 जून 2018 (शुक्रवार) को मतदान कराया जाना निर्धारित है - निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निदेश दिया है कि **कर्नाटक राज्य में कर्नाटक दक्षिण पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, बैंगलोर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा कर्नाटक उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान परिषद** के निर्वाचनों में ऐसे सभी निर्वाचकों को 15 मई, 2018 को अधिसूचित कर्नाटक की विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचनों में मत देने के लिए मतदान केन्द्रों पर आने पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा जिन्हें अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

2. इस संबंध में दिनांक 01 जून, 2018 को जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है। आयोग ने उन निर्वाचकों, जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संबंध में पहचान के 13 वैकल्पिक दस्तावेजों को अनुमोदित किया है। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैरा 4 में दिए गए निदेशों की ओर आकर्षित किया जाए।

3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह अनुदेश दिया जाए कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु व पते से संबंधित प्रविष्टियों में छोटी-मोटी त्रुटियों को नजरअन्दाज किया जाए तथा यदि उस पहचान पत्र के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके तो निर्वाचक को अपना मत देने की अनुमति दी जाए।

4. आयोग के दिनांक 01 जून, 2018 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों तथा संबंधित सभी अन्य

प्राधिकारियों को आयोग के निदेशों के बारे में तत्काल सूचित किया जाए। आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचना के लिए प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान के समय इसे अपने साथ लाना चाहिए तथा यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज लाना चाहिए। आपके राज्य में सभी राजनीतिक दलों को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश के बारे में भी लिखित में सूचित किया जाए।

5. रिटर्निंग अधिकारी(यों) को अनुदेश दिया जाए कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें तथा सभी पीठासीन अधिकारियों को विशेष ब्रीफिंगों के माध्यम से इसकी विषय वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों के पास इस पत्र की प्रति उपलब्ध हों।

6. कृपया पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं० : 3/4/आई डी/2018/एस.डी.आर(परिषद) (कर्नाटक) दिनांक : 01 जून, 2018

<u>आदेश</u>

यत: भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान करने की नीति का अनुसरण करता रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके और परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अन्तर्गत, असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35 (3) और 37 (2) (ख) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयोग दिशा-निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र या अन्य विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने के परिणामस्वरूप उनको मत पत्र नहीं दिया जाएगा और मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

3. यत: , निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के विरुद्ध पूर्वोपाय किए जाने के संबंध में उक्त प्रावधान स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन पर भी समान रूप से लागू होते हैं और चूंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक हैं, इसलिए उनके सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की आपूर्ति की गई होगी;

4. अत:, अब, सभी संगत कारकों एवं विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 15 मई, 2018 को अधिसूचित **कर्नाटक राज्य में कर्नाटक दक्षिण पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, बैंगलोर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा कर्नाटक उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान परिषद** के द्विवार्षिक निर्वाचनों में जिन निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान पत्र जारी किए गए हैं उन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों में आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि वे निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

I. पासपोर्ट,

II. ड्राइविंग लाइसेन्स,

III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटिड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो सहित सेवा पहचान-पत्र।

IV. बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक (दिनांक 31-05-2018 को या उससे पहले खुला खाता)

V. आयकर पहचान-पत्र (पैन कार्ड)

VI. एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

VII. फोटोग्राफ सहित स्वास्थय बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना, दिनांक 31-05-2018 तक जारी)

VIII. फोटोग्राफ सहित पैंशन दस्तावेज (दिनांक 31-05-2018 तक जारी)

IX. फोटोग्राफ सहित स्वतंत्रता सेनानी कार्ड

X. फोटोग्राफ सहित हथियार लाइसेंस (दिनांक 31-05-2018 तक जारी)

XI. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटोग्राफ सहित शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 31-05-2018 तक जारी)

XII. फोटोग्राफ सहित भूतपूर्वक सैनिक सीएसडी कैंटीन कार्ड।

XIII. आधार कार्ड।

भवदीय,

(के.एफ.विल्फ्रेड)

वरिष्ठ प्रधान सचिव